दिनाक 16.01.2021
प्रेस विज्ञप्ति–16/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण,**
- **05 अपराधी गिरफ्तार,**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने चॉदी के आभूषण,**
- **चोरी के 01 लाख 15 हजार रूपये नगद,**
- **02 चोरी की मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस,**

बरामद

दिनांक 15/16.01.2021 की रात्रि थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान कुरौली मोड़ से 05 अभियुक्तों 1–अहमद 2–अदनान 3– जुम्मन 4–करन उर्फ चट्टू 5–दानिश को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के लगभग 10 लाख रूपये कीमत के सोने एवं चॉदी के आभूषण, 01 लाख 15 हजार रूपये नगद, 02 चोरी की मोटर साइकिले, 01 अवैध तमंचा 12बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। अभियुक्त अहमद के विरूद्ध लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद सोने चॉदी के आभूषण, नगद रूपये व मोटर साइकिल चोरी के पंजीकृत अभियोगों से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :—</u>

1—अहमद निवासी मोहल्ला नूरबाग कस्बा व थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।

2—अदनान निवासी ग्राम गणेशपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

3—जुम्मन निवासी ग्राम गणेशपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

4—करन उर्फ चट्टू निवासी ग्राम गणेशपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

5—दानिश निवासी कांशीराम कालोनी बड़ी लाइन हड्डीगंज थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगीः—</u>

1—चोरी के लगभग 10 लाख रूपये कीमत के सोने एवं चॉदी के आभूषण,

2—01 लाख 15 हजार रूपये नगद,

3— 02 चोरी की मोटर साइकिले,

4—01 अवैध तमंचा 12बोर, 02 जीवित कारतूस।

<u>जनपद चित्रकूट/थाना कर्वी</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण,**
- **पुलिस कार्यवाही में 04 अपराधी गिरफ्तार,**
- **चोरी के 01 लाख 25 हजार रूपये नगद,**
- **02 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस,**

बरामद

दिनांक 16.01.2021 को थाना कर्वी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमानपुर बेड़ी पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों 1—सन्तेलाल 2—ओमप्रकाश 3—फूलचन्द्र उर्फ किल्लू 4—विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया,

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 1 लाख 25 हजार रूपये नगद, 02 मोटर साइकिले, 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 13.01.2021 को कर्वी क्षेत्रान्तर्गत मोटर साइकिल की डिग्गी से रूपये चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0—13/2021 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से बरामद नगदी उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कर्वी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—सन्तेलाल निवासी बल्दूपुरवा बनगाई थाना धनेपुर जनपद गोण्डा।

2—ओमप्रकाश निवासी बल्दूपुरवा बनगाई थाना धनेपुर जनपद गोण्डा।

3—फूलचन्द्र उर्फ किल्लू निवासी बल्दूपुरवा बनगाई थाना धनेपुर जनपद गोण्डा।

4—विनोद कुमार निवासी छजवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगीः—

1—चोरी के 1 लाख 25 हजार रूपये नगद,

2—02 मोटर साइकिले,

3—02 अवैध तमंचे 315 बोर मय कारतूस ।

जनपद आगरा/थाना शमशाबाद/फतेहाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **02 अवैध तमंचे, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस,**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 15.01.2021 की रात्रि में थाना शमशाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आगरा शमशाबाद रोड गढ़ी जहानसिंह मोड़ पर चेकिंग के दौरान 02 मोटर

साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही के दौरान 02 अभियुक्तों 1—विनोद 2—नवीन कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 21 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी सूचना पर फतेहाबाद पुलिस टीम द्वारा निबोहरा शमशाबाद तिराहे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी जिसमें आरक्षी भोला सिंह घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी हेतसिंह उर्फ हेता घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस एवं 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हेतसिंह उर्फ हेता शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसके विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, नकबजनी आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शमशाबाद/फतेहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :—</u>

1—विनोद निवासी सुजगई थाना ताजगंज जनपद आगरा।

2—नवीन कुमार निवासी नेतपुरा थाना डौकी जनपद आगरा।

3—हेतसिंह उर्फ हेता निवासी कसियाई थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।

बरामदगीः–

1–21 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब

2–02 अवैध तमंचे, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

3–02 मोबाइल फोन

4–02 मोटर साइकिल

जनपद कानपुरनगर/थाना कल्याणपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण,**
- **03 अपराधी गिरफ्तार,**
- **चोरी के लगभग सवा दो लाख रूपये कीमत के सोने, चॉदी के आभूषण,**
- **38 हजार 59 रूपये नगद,**
- **01 कार,**
- **01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 16.01.2021 को थाना कल्याणपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मसवानपुर के पास से 03 अभियुक्तों 1–अनुराग 2–अजय 3–रिंकी उर्फ रिया पत्नी मोहित को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के लगभग सवा दो लाख रूपये कीमत के सोने, चॉदी के आभूषण, 38 हजार 59 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 कार, 01 दो पहिया वाहन एवं आला नकब आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कल्याणपुर क्षेत्रान्तर्गत घर में हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0–1437/2020 धारा 380/411 भादवि, मु0अ0सं0–1576/2020 धारा 380 भादवि, व मु0अ0सं0–8/2021 धारा 380 भादवि के अभियोगो के अनावरण प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना कल्याणपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

1–अनुराग निवासी दादरनगर लेवर कालोनी थाना गोबिन्दनगर जनपद कानपुरनगर।

2–अजय निवासी केन्द्रांचल कालोनी गुजैनी थाना बर्रा जनपद कानपुरनगर।

3–रिंकी उर्फ रिया पत्नी मोहित निवासी संजयनगर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

बरामदगीः–

1–चोरी के लगभग सवा दो लाख रूपये कीमत के सोने, चॉदी के आभूषण,

2– 38 हजार 59 रूपये नगद,

3–घटना में प्रयुक्त 01 कार,

4– 01 दो पहिया वाहन, आला नकब आदि ।

जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**

दिनांक 16.01.2021 को थाना कोतवाली सीतापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान रेलवे क्रासिंग श्यामनाथ से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी मोहित उर्फ दुर्गेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मु0अ0सं0–345/2019 धारा 457/380 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध मे ंथाना कोतवाली सीतापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

मोहित उर्फ दुर्गेश निवासी श्यामनाथ थाना कोतवाली नगर ,सीतापुर।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना तिलहर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **15 बने/अधबने अवैध तमंचे विभिन्न बोर /रिवाल्वर/बन्दूक,**
- **24 जीवित, 21 खोखा कारतूस**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 16.01.2021 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम शिवदासपुर के बाहर लगे मोबाइल टावर के पास कमरे में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते 04 शातिर अभियुक्त 1–प्रदुमन 2–बाबूराम 3–शिवपाल 4–महेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 15 बने/अधबने अवैध तमंचे/रिवाल्वर/बन्दूक विभिन्न बोर, 24 जीवित, 21 खोखा कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त प्रदुमन हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रदुमन निवासी ग्राम अहमदनगर थाना रोजा जनपद शाहजहॉपुर।

2–बाबूराम निवासी लम्बखेड़ा थाना हाफिजगंज जनपद बरेली।

3–शिवपाल निवासी ग्राम शिवदासपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहॉपुर।

4–महेन्द्र निवासी ग्राम शिवदासपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1–15 बने/अधबने अवैध तमंचे/रिवाल्वर/बन्दूक विभिन्न बोर,

2– 24 जीवित, 21 खोखा कारतूस

3– शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि ।

जनपद बिजनौर/थाना चॉदपुर

- **02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार,**
- **चोरी की 04 मोटर साइकिल, 02 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 15.01.2021 की रात्रि थाना चॉदपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मण्डी समिति चॉदपुर के पीछे बने खण्डहर आवास से पुलिस कार्यवाही के दौरान 02 वाहन चोरो 1–शुऐब 2–कामिल को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटर साइकिले, 02 कार(होण्डा सिटी, सैन्ट्रो) बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त शोएब के विरूद्ध जनपद बिजनौर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, अल्मोड़ा, दिल्ली के विभिन्न के थानो पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा आस पास के जनपदो से वाहन चोरी कर ग्राहक मिलने पर उन्हें सस्ते दामों पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना चॉदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

1–शुऐब निवासी मोहल्ला काजीजादगान कस्बा व थाना चॉदपुर जनपद बिजनौर।

2–कामिल निवासी मोहल्ला पीरजादगान कस्बा व थाना बछराऊ जनपद अमरोहा।

बरामदगीः–

1–चोरी की 04 मोटर साइकिले,
2–02 कार (होण्डा सिटी, सैन्ट्रो)

जनपद बदायूं/थाना मूसाझाग

- **02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार,**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिले बरामद**

दिनांक 15.01.2021 की सायं थाना मूसाझाग पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दातागंज बदायूं रोड पुलिया ग्राम फरीदापुर सानी के पास से 02 वाहन चोरो 1—धर्मवीर 2—राजू को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिले बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जिनके द्वारा जनपद के भिन्न भिन्न स्थानो से वाहन चोरी कर ग्राहक मिलने पर उन्हें सस्ते दामों पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना मूसाझाग पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—धर्मवीर निवासी ग्राम अहोरामई थाना मूसाझाग जनपद बदायूं।

2—राजू निवासी ग्राम कण्डेला थाना मूसाझाग जनपद बदायूं।

बरामदगीः—

चोरी की 07 मोटर साइकिले ।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—39 (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 26 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0पो0 3 गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना सेक्टर—39 पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366/376 भादवि में अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 26 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

———————